फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम:– नसीराबाद

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा :– 88,183,92 [illegible] रा. काश्त. अधि. 1955

प्रकरण संख्या 143 सन् :– 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-12-17	अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 02-1-18 को पेश हो। [illegible]	8862-68 19.12.17
	2.1.18 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय के बाहर दौरे/अवकाश पर होने के कारण आज के प्रकरणों में तारीख तब्दील की जाती है। मुताबिक आम सूचना के मिसल दिनांक 12.3.18 को पूर्व आदेश की पालना में पेश हो। आदेशानुसार रीडर उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)	
	12.3.18 बार एसोसियेशन नसीराबाद के कार्य स्थगन प्रस्ताव के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 24.4.18 को पेश हो। आदेशानुसार रीडर	
	24.4.18 पीठासीन अधिकारी के [illegible] मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर [illegible] प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 28.5.18 को पेश हो। आदेशानुसार रीडर	
	न्याय आपके द्वार अभियान - 2018	
28.5.18	पत्रावली कैम्प कोर्ट [illegible] में पेश हुई। वादी स्वयं से उपस्थित हो कर जाहिर किया कि ग्राम [illegible] के ख. नं. 325, 578, 584, 591, 1026, 1035/1477, 1036, 578/1618 की आराजी वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.1.17 को क्रय कर कब्जा व	जगदीश

[illegible stamp]

दखल प्राप्त कर लिया था प्रतिवादी सं. 2 द्वारा उक्त आराजी पर ऋण लेने के कारण विक्रयपत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नही हो पायी। अतः आराजी मुतनाजा का नामान्तरकरण वादी के नाम किया जावे।

वादी ने जाहिर किया कि विक्रय दिनांक को जो वादग्रस्त आराजी बैंक के नाम रहन थी व विक्रेता द्वारा शीघ्र ऋण चुकाने के आश्वासन के बाद ही वादी को उक्त भूमि क्रय की थी। लेकिन विक्रेता ने आज दिनांक तक ऋण नहीं चुकाया।

पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रेकार्ड का जवाब शामिल है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी दिनांक 23.1.17 को क्रय की जबकि उक्त आराजी नामा. सं 427 दिनांक 21.7.15 से ही बैंक के नाम रहन दर्ज है अर्थात वादग्रस्त आराजी विक्रय दिनांक को ही रहन दर्ज थी। वादी को वादग्रस्त आराजी क्रय दिनांक को भूमि के रहन की जानकारी थी वादी द्वारा वाद में बैंक को पक्षकार नहीं बनाया है भूमि विक्रय दिनांक से पूर्व ही रहन होने के कारण विक्रय पत्र की पालना संभव नहीं है। भूमि रहनमुक्त होने के बाद ही विक्रय पत्र की पालना संभव है

अतः प्राप्त आवेदन की वादग्रस्त आराजी का वादी का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी
न्याय आपके द्वार अभियान - 2018
लोक अदालत कैम्प कोर्ट :
कैम्प कोर्ट :

न्याय आपके द्वार 2018
कैम्प कोर्ट :– तिलाना
प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

छोटू उर्फ जगदीश बनाम रजिया

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 143/2017
पेश करने की दिनांक – 11.12.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव ~~सक्क~~ मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम चांदसेन के हाल खसरा नम्बर 325/0.40, 578/0.19, 584/0.13, 591/0.21, 1026/0.08, 1036/0.21, 578/1618 रकबा 0.02 व 1035/1477 रकबा 0.07 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक------ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 28 माह मई सन् **2018** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद